

प्रेषक,

सचिव,
प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

अध्यक्ष / सचिव

यहां देवी लीलाचम कांठेल ब्रह्म कार्यालयिक एण्ड रिजर्व, ग्राम-बिकेत काली, तहसील बरौली, जिला
सहाय्यी/ट्रस्ट - डीएनडी लीलाचम सिड एड्युकेशन एण्ड वीरिडिबल ट्रस्ट, कालगोदाग रोड, बरौली
उत्तर

पत्रांक-प्राशिय/परिषद/2022/5845

लखनऊ-दिनांक- 14-7-2022

विषय- सत्र 2022-23 हेतु संस्थान की अनापत्ति पत्र निर्गत किये जाने की संबंध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयक फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पीएनडीआई) के पत्रांक 14-58/2022
(Approval Process for 2022-23 as)/11621-23 दिनांक 21-9-2022 एवं माओ उच्चतम
न्यायालय के आदेश दिनांक 31-5-2022 को संदर्भित करने का कष्ट करे जिसकी अनुक्रम में सत्र
2022-23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम सहायित किये जाने हेतु आप द्वारा सहमति/अनापत्ति
निर्गत किये जाने के संबंध में अनुसोध किया गया है।

सूच्य है कि प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण
संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई
दिल्ली/पीएनडीआई, नई दिल्ली से प्रबन्धन संस्थान एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदनपत्रों की संस्थान
की सम्बद्धता पर विचार करता है।

माओ उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31-5-2022 एवं पीएनडीआई, नई दिल्ली के
पत्र पत्र संदर्भ संख्या 14-58/2022 (Approval Process for 2022-23 as)/11621-23 में
दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में राज्य स्तरीय समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर संस्था को
सहमति/अनापत्ति पत्र माओ उच्चतम न्यायालय में पेशित एसएएलसीए नं० 406/2022 में पारित
अंतिम निर्णय के प्रतिबंध के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फार्मसी
काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रस्ता अनुमोदन पत्र सत्र 2022-23 हेतु परिषद द्वारा
आह्वान सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार की बैठक से पूर्व प्राप्त कराया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त
अवधि तक यदि संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया तो ऐसी
स्थिति में संस्था को सत्र 2022-23 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया
जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति पत्र प्रतीकात्मक है, और उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण
किये जाने पर ही मान्य होगा। साथ ही संभव पत्र में दी गई जानकारी तथा पीएनडीआई एवं
परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों/मानकों के अनुसार संस्था का स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय सात्यापन
एक माह के अंदर सुनिश्चित किया जायेगा। अभिलेखों के सात्यापन की पुष्टि न होने तथा स्थलीय
निरीक्षण में मानकों/शर्तों को पूर्ण न किये जाने पर अनापत्ति तत्वात् प्रभाव से निरस्त भी जायेगी।

भवदीय,

Secretary

(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव

पु०सं०- प्राशिय/परिषद/2022/5848-47

दिनांक- 14-7-2022

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचनाएं एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, उ०प्र०, कागपुर।
2. प्रिंसिपल-कम-सेक्रेटरी, फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, कम्पाउन्ड आउथोरिटी डिप्लोमा,
एम्बल रोड, कोटला रोड, एका-ए-पालिड मार्ग, नई दिल्ली- 110 002

(सुनील कुमार सोनकर)
सचिव